



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
<p>04/07/2022</p>	<p align="center">प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p align="center">सर्वे अपील 146/2012</p> <p align="center">पारनो उराईन व अन्य बनाम् झारखण्ड सरकार</p> <p>प्रश्नगत वाद में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या-44/2007 (बुढमू) में पारित आदेश को चुनौती दी गयी थी। उक्त वाद में थाना-बुढमू, खाता नम्बर-36/27, खेसरा संख्या-570/437, रकबा-1 एकड़ भूमि के सर्वे इन्द्राज का विषय सन्निहित है। आवेदक सोमरा उरांव के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र गन्दुरा उरांव एवं लखुवा उरांव तथा पत्नी पारोईन उराईन प्रश्नगत वाद में पक्षकार बने हैं।</p> <p>आवेदकों का दावा है कि उन्हें राज्य सरकार के द्वारा प्लॉट नम्बर-429, रकबा-1.05 एकड़ बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ है। बंदोबस्ती परवाना भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी के न्यायालय में अमीन का जाँच प्रतिवेदन देखने से यह स्पष्ट होता है कि खेसरा नम्बर-570/438, 1.02 एकड़ भूमि वन सीमा से बाहर है, जो वादियों के दखल में है। आवेदकों के द्वारा प्लॉट नम्बर-531/438 एवं 569/307 पर भी दखल किया गया है, किन्तु प्लॉट-569 के संबंध में आवेदकों के पास कोई प्रमाण नहीं है, जबकि खेसरा नम्बर-561 वन भूमि के अन्तर्गत है। राज्य सरकार के तरफ से प्रश्नगत सम्पूर्ण भूमि को वन भूमि के रूप में अधिसूचित होने का दावा किया गया है।</p> <p>प्रश्नगत वाद में आवेदक लगातार अनुपस्थित रहें, किन्तु अंतिम मौका दिये जाने के पश्चात् बंदोबस्ती परवाना दायर किया गया। उक्त बंदोबस्ती वर्ष-1988-89 में मौजा-चांपा, थाना नम्बर-61, खाता नम्बर-27, प्लॉट नम्बर-438, रकबा-1.05 एकड़ भूमि के लिये किया गया है। अमीन प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि 570 खेसरा वन सीमा के बाहर है, अतः उक्त भूमि का खतियान सोमा उरांव, पिता-लखुवा उरांव के नाम बनाया जाना उचित है। शेष अन्य खेसरा नम्बर-561 एवं 569 वन सीमा के अन्तर्गत है। अतः उक्त भूमि का इन्द्राज वन भूमि के नाम पर रहेगा। आवेदक वन भूमि के बंदोबस्ती हेतु वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन दे सकते हैं।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="right">  प्रमण्डलीय आयुक्त </p> <p align="left">  प्रमण्डलीय आयुक्त </p>	